



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272652
CG-DL-E-18052026-272652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2429]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948

No. 2429]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.आ. 2521(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) कीधारा 3 केखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ. 5470(ई) दिनांक 30 दिसंबर, 2021 (प्रधान अधिसूचना) में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, जैसाकि नीचे दी गई अनुसूची में है।

अनुसूची

आवश्यक संशोधनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	सिद्धांतिक मामले की अधिसूचना/बादकी अधिसूचना जिसमें संशोधन की आवश्यकता है		मामले में संशोधन किया जाना है
	जगह	पदार्थ का विवरण	
1	क्रम संख्या 1, स्तंभ 2	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बागलकोट	अतिरिक्त उपायुक्त, बागलकोट सह एनएच 748ए परियोजना के लिए

			सीएएलए
2	क्रम संख्या 2, स्तंभ 2	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बागलकोट	अतिरिक्त उपायुक्त, बागलकोट सह एनएच 748ए परियोजना के लिए सीएएलए

फुटनोट:- मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5470(ई) दिनांक 30 दिसंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22/Corrigendum]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

Corrigendum

New Delhi, the 15th May, 2026

S.O. 2521(E).—In exercise of powers conferred by clause(a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48of1956), the Central Government, here by makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 5470(E) dated 30th December, 2021 (Principal Notification) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) as per the schedule given below.

SCHEDULE

Details of amendment required are as under:-

Sl. No.	Matter in principal notification/subsequent notification that requires amendment		Matter to be amended as
	Location	Details of matter	
1	Serial No 1, Column 2	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot	Additional Deputy Commissioner, Bagalkot Cum CALA For NH 748A Project.
2	Serial No 2, Column 2	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot	Additional Deputy Commissioner, Bagalkot Cum CALA For NH 748A Project

Foot Note:- The Principal notification was published vide number S.O. 5470(E) dated 30th December, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii).

[F. No. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22/Corrigendum]

SHAIKH AMINKHAN, Director